उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्याः 531 /XXIV–4/2017–01(01)2016
देहरादूनः दिनांक 25 मार्च 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (संशोधन) विनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

अध्याय दो के विनियम 2 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 के अध्याय–दो के वर्तमान नियम 2 के उपविनियम (1) को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2
2(1) संस्था के प्रधान का पद, यथा स्थिति धारा–37 की उपधारा (1) के अधीन या धारा–38 की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने के पश्चात् खण्ड (2) में किये गये उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगा।	2(1) संस्था के प्रधान का पद, यथा स्थिति धारा–37 की उपधारा (1) के अधीन या धारा–38 की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने के पश्चात् खण्ड (2) में किये गये उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगा।
परन्तु यह कि किसी ऐसी संस्था की दशा में जो धारा–38 में निर्दिष्ट संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद में ऐसी अस्थायी रिक्ति, जो किसी पदधारी को किसी शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से अनधिक अवधि की छुट्टी प्रदान करने या किसी पदधारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति या उसके निलम्बन के कारण हुई हो, संस्था में उच्चतम श्रेणी में जेष्ठतम् अर्ह अध्यापक की, यदि कोई हो पदोन्नति द्वारा भरा जायेगाः	–विलोपित–
परन्तु यह और कि हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम एंव ऐसे सहायक अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय–दो परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित अर्हता रखते हों और जब वे साधारण वेतनमान से 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करें, तो उसे प्रधानाध्यापक पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा प्रधानाध्यापक पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाध्यापक का वेतनमान अनुमन्य होगा,	***परन्तु*** **यह कि कोई ऐसी संस्था की दशा में जो धारा–38 में निर्दिष्ट संस्था न हो में (हाईस्कूल स्तर की संस्था हेतु)** प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम् एंव ऐसे सहायक अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय–दो परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित अर्हता रखते हो और जब वह सहायक अध्यापक के रूप में साधारण वेतनमान से 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करें, तथा उनका कार्य एंव व्यवहार संतोषजनक हो तो उन्हें प्रधानाध्यापक पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा प्रधानाध्यापक पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाध्यापक का

वेतनमान अनुमन्य होगा,

तथा इण्टरमीडिएट प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम् एंव ऐसे प्रवक्ता, जो प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय–दो परिशिष्ट "क" में उल्लिखित अर्हता रखते हों और जब वे साधारण वेतनमान से 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करें तो उसे प्रधानाचार्य के पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा उक्त पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य का वेतनमान अनुमन्य होगा ।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित पदों पर कार्यरत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति आदि से रिक्त पद पर पात्र शिक्षक उपलब्ध न होने की दशा में, इन पदों को अधिनियम एंव तद्धीन बनाए गए विनियम की संगत धाराओं के अनुसार सीधी भर्ती से भरा जां सकेगा।

इसी प्रकार इण्टर स्तर के प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम् एंव ऐसे प्रवक्ता, जो प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय-दो परिशिष्ट "क" में उल्लिखित अर्हता रखते हों और जब वे साधारण वेतनमान में प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुऐ 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करे तथा यदि उनका कार्य एंव व्यवहार सन्तोषजनक हो तो उन्हें प्रधानाचार्य के पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा उक्त पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य का वेतनमान अनुमन्य होगा।

परन्तु यह कि स0अ0(एल0टी0) वेतनक्रम में न्यूनतम 22 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त होने के उपरान्त स0अ0 से प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति होने की दशा में ऐसे प्रवक्ता को संस्था में वरिष्ठतम् प्रवक्ता होने की दशा में तथा यदि उनका कार्य एंव व्यवहार सन्तोषजनक हो तो उन्हें प्रधानाचार्य के पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा उक्त पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य का वेतनमान अनुमन्य होगा।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक उपलब्ध न होने की दशा में, संस्था प्रधान के पद को अधिनियम एंव तद्धीन बनाए गए विनियम की संगत धाराओं के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकेगा।

विनियम 5 का संशोधन

3. मूल विनियामावली के विनियम 5 में–

(एक) विद्यमान विनियम 5 के उप विनियम (2) के खण्ड (ख) को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये विनियम निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंग, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
5(2)(ख)– यथास्थिति प्रवक्ता (लेक्चरार) श्रेणी में एल0टी0 श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हों तो पहले से पदोन्नत किए गए व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा।	**5(2)(ख)– यदि यथास्थिति प्रवक्ता (लेक्चरार) श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हों तो पहले से पदोन्नत किए गए व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा।**

(दो) उप विनियम (2) के पश्चात एक नया उप विनियम (3) निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात

"5(3)– संस्था में कार्मिकों के पदों को भरे जाने हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षण हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार ही पदों को आरक्षित किया जायेगा।

विनियम 10 का संशोधन

4 मूल विनियामावली के विनियम 10 में–

(एक) विद्यमान विनियम 10 के खण्ड (क), (घ), (घ घ) तथा (छ) को नीचे स्तम्भ-1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये विनियम निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंग, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने तथा जिला शिक्षा अधिकारी से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचलन हो पद विज्ञापित किए जायेंगे, प्रतिबन्ध यह है कि समाचार पत्रों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी अपने सम्भाग के मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित करेंगे और उनमें से ही दो समाचार पत्रों में जनपद के समस्त प्रबन्ध समितियों द्वारा विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् स्थायी है या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एल0टी0,या बी0टी0सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विशय जिसमें या जिनमें प्रवक्ता या अध्यापक की आवश्यकता हो), वेतन और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से तीन सप्ताह से कम न होना चाहिए) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन–पत्र केवल पंजीकृत डाक से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे–– विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 300 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम से हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते है। किसी भी दशा में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नही किया जायेगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने	**10(क)** प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने तथा जिला शिक्षा अधिकारी से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचलन हो पद विज्ञापित किए जायेंगे: प्रतिबन्ध यह है कि समाचार पत्रों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी अपने सम्भाग के मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित करेंगे और उनमें से ही दो समाचार पत्रों में जनपद के समस्त प्रबन्ध समितियों द्वारा विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (स्थायी या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एल0टी0,या बी0टी0सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्रवक्ता या अध्यापक की आवश्यकता हो), वेतन और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से तीन सप्ताह से कम न हो) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन–पत्र केवल पंजीकृत डाक से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** के कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे–– विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 300 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम से हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते है। किसी भी दशा में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नही किया जायेगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर

की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर निदेशक को भी भेजी जायेगी।

टिप्पणी–(1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की सभी रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

10(घ) प्राप्त किए गए आवेदन–पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र पर रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित और प्रविष्ट किए जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण–विषयक अंक परिशिष्ट 'घ' में अभिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमानतया जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों या प्रधानाचार्यों या उपाधि महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों या संस्था के सेवानिवृत्त प्रधानों द्वारा दिए जायेंगे और इसकी जाँच जिला शिक्षा अधिकारी या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन–पत्रों को विज्ञापन में आवेदन–पत्र प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पांच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध समिति द्वारा तीन दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर, जिला शिक्षा अधिकारी आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को भिजवा देगा। प्रबन्धाधिकरण भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी, प्रतिबन्ध यह है कि यह संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ायी जा सकती है जो प्रथम सात स्थानों में समान गुण–विषयक अंक प्राप्त करें। जिला शिक्षा अधिकारी

निदेशक को भी भेजी जायेगी।

टिप्पणी–(1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की सभी रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी,

परन्तु अनुमति देने से पूर्व छात्र/शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार सृजित पदों का पुनर्निधारण कर लिया जायेगा, तद्नुसार यदि पद सृजन की आवश्यकता हो, तो प्रथमतः पद सृजन का आदेश प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

10(घ) प्राप्त किए गए आवेदन–पत्र **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** के कार्यालय में निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र पर रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित और प्रविष्ट किए जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण–विषयक अंक परिशिष्ट 'घ' में अभिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमानतया **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों या प्रधानाचार्यों या उपाधि महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों या संस्था के सेवानिवृत्त प्रधानों द्वारा दिए जायेंगे और इसकी जाँच **मुख्य शिक्षा अधिकारी** या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन–पत्रों को विज्ञापन में आवेदन–पत्र प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पांच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध समिति द्वारा तीन दिन के भीतर **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर, **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को भिजवा देगा। प्रबन्धाधिकरण भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी

चयन करने के लिए ऐसे दिनांक, समय और स्थान, जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, की सूचना ऐसे दिनांक के कम से कम दो सप्ताह पूर्व प्रबन्ध समिति को उसके प्रबन्धक के माध्यम से भेजेगा। सूचना प्राप्त होने पर प्रबन्धक शीघ्र ही विशेषज्ञों से भिन्न चयन समिति के अन्य सदस्यों को सूचना भेजेगा और साक्षात्कार के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों को ऐसे चयन के कम से कम दो सप्ताह पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा साक्षात्कार–पत्रक जारी करेगा जिसमें चयन किए जाने का दिनांक, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा। चयन समिति तद्नुसार चयन करने के लिए अपनी बैठक करेगी। जिला शिक्षा अधिकारी यथास्थिति धारा–37 की उपधारा–(1) या (2) के खण्ड तीन के अधीन नाम–निर्दिष्ट विशेषज्ञों को संस्था के नाम के साथ–साथ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान की सूचना ऐसे दिनांक के पर्याप्त समय पूर्व भेजेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई विशेषज्ञ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक को उपस्थित न हो सके तो जिला शिक्षा अधिकारी तुरन्त ही प्रतीक्षा सूची में से विशेषज्ञ का प्रबन्ध करेगा। दो विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी और उसके लिए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

यदि साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 03 से कम रहती है तो साक्षात्कार स्थगित कर दिया जायेगा और उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

10(घघ)–जहाँ खण्ड (क) के अधीन विज्ञापित पद किसी इण्टरमीडिएट संस्था के प्रधानाचार्य के पद के लिए हो, वहाँ ऐसी संस्था के प्रवक्ता श्रेणी के दो ज्येष्ठतम् अध्यापक और जहाँ विज्ञापित पद किसी हाईस्कूल संस्था के प्रधानाध्यापक के पद के लिए हो

हो) सात होगी, प्रतिबन्ध यह है कि यह संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ायी जा सकती है जो **सूची में अन्तिम सातवें अभ्यर्थी** के समान गुण–विषयक अंक प्राप्त करें। मुख्य शिक्षा अधिकारी **(प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** चयन करने के लिए **प्रथम सात स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों के नाम की सूची** सहित ऐसे दिनांक, समय और स्थान, जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, की सूचना ऐसे दिनांक के कम से कम दो सप्ताह पूर्व प्रबन्ध समिति को उसके प्रबन्धक के माध्यम से भेजेगा। सूचना प्राप्त होने पर प्रबन्धक शीघ्र ही विशेषज्ञों से भिन्न चयन समिति के अन्य सदस्यों को सूचना भेजेगा और साक्षात्कार के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों को ऐसे चयन के कम से कम दो सप्ताह पूर्व **अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रीकृत डाक तथा ई–मेल तथा एस0एम0एस0 तथा बेबसाइट** द्वारा साक्षात्कार पत्रक जारी करेगा जिसमें चयन किए जाने का दिनांक, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा। चयन समिति तद्नुसार चयन करने के लिए अपनी बैठक करेगी। चयन की सूचना इसी प्रकार निदेशक, मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी को **अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रीकृत डाक तथा ई–मेल तथा एस0एम0एस0 तथा बेबसाइट** द्वारा देगा। **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** यथास्थिति धारा–37 की उपधारा–(1) या (2) के खण्ड तीन के अधीन नाम–निर्दिष्ट विशेषज्ञों को संस्था के नाम के साथ–साथ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान की सूचना ऐसे दिनांक के पर्याप्त समय पूर्व भेजेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई विशेषज्ञ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक को उपस्थित न हो सके तो **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** तुरन्त ही प्रतीक्षा सूची में से विशेषज्ञ का प्रबन्ध करेगा। दो विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी और उसके लिए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

यदि साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 03 से कम रहती है तो साक्षात्कार स्थगित कर दिया जायेगा और उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

10(घघ)–जहाँ खण्ड (क) के अधीन विज्ञापित पद किसी इण्टरमीडिएट संस्था के प्रधानाचार्य के पद के लिए हो, वहाँ ऐसी संस्था के प्रवक्ता श्रेणी के दो ज्येष्ठतम् अध्यापक और जहाँ विज्ञापित पद किसी हाईस्कूल संस्था के प्रधानाध्यापक के पद के लिए हो वहाँ ऐसी संस्था के एल0टी0 श्रेणी के दो ज्येष्ठतम

वहाँ ऐसी संस्था के एल0टी0 श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक, और जहाँ विज्ञापित पद किसी जूनियर हाईस्कूल/ प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के लिए हो, वहाँ ऐसी संस्था के ज्येष्ठतम् सहायक अध्यापक जो ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हों और जिन्होंने अपनी–अपनी श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की लगातार सेवा, जिसके अन्तर्गत ऐसी अवधि यदि कोई हो जिसके दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा की हो, भी है, उस पद के लिए साक्षात्कार के निमित्त बुलाये जाने के हकदार होंगे भले ही वे खण्ड (घ) के अधीन प्रथम सात स्थानों में न आते हों।

10(छ)– चयन समिति द्वारा चयन गुण–विषयक अंकों और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए अंकों का योग गुण–विषयक अंकों जैसा कि खण्ड (घ) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए जायें और चयन समिति के सदस्यों द्वारा **25** में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर लगाया जायेगा।

उदाहरणार्थ–ऐसे अभ्यर्थी को जो खण्ड (घ) के अधीन 110 गुण– विषयक अंक प्राप्त करें, यदि साक्षात्कार में पाँच सदस्य हों और उन सदस्यों द्वारा निम्नलिखित अंक दिए जायें:–

सदस्य संख्या 1	18
सदस्य संख्या 2	15
सदस्य संख्या 3	17
सदस्य संख्या 4	11
सदस्य संख्या 5	14
	योग– 75

तो अंकों का योग 110+75/5=125 होगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांक 25 में से यदि किसी अभ्यर्थी को 18 अंकों से अधिक अंक प्रदान किए जाएं अथवा 10 अंक से कम अंक प्रदान किए जाएं तो ऐसे अंक प्रदान करने वाले सदस्य द्वारा उसका विशिष्ट कारण अभिलिखित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ भी खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण पत्र में यह अंकित करेगा कि वह अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संक्षेप में उसके कारण लिखेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन

अध्यापक, और जहाँ विज्ञापित पद किसी जूनियर हाईस्कूल/प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के लिए हो, वहाँ ऐसी संस्था के ज्येष्ठतम् सहायक अध्यापक जो ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हों और जिन्होंने अपनी–अपनी श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की लगातार सेवा, जिसके अन्तर्गत ऐसी अवधि यदि कोई हो जिसके दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा की हो, भी है, उस पद के लिए साक्षात्कार के निमित्त बुलाये जाने के हकदार होंगे भले ही वे खण्ड (घ) के अधीन प्रथम सात स्थानों में न आते हों।

परन्तु मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक/शिक्षकों के चयन के लिये पदों का विज्ञापन प्रकाशित करने के तीन माह के भीतर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। यदि चयन की कार्यवाही उक्तावधि में पूर्ण न की जा सके तो पदों का पुनः विज्ञापन किया जायेगा।

10(छ)– चयन समिति द्वारा चयन गुण–विषयक अंकों और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए अंकों का योग गुण–विषयक अंकों जैसा कि खण्ड (घ) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए जायें और चयन समिति के सदस्यों द्वारा **05** में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर लगाया जायेगा।

उदाहरणार्थ–ऐसे अभ्यर्थी को जो खण्ड (घ) के अधीन **100** गुण–विषयक अंक प्राप्त करें, यदि साक्षात्कार में पाँच सदस्य हों और उन सदस्यों द्वारा निम्नलिखित अंक दिए जायें:–

सदस्य संख्या 1	**04**
सदस्य संख्या 2	**03**
सदस्य संख्या 3	**02**
सदस्य संख्या 4	**03**
सदस्य संख्या 5	**03**
योग–	**15**

तो अंकों का योग **100+15/5=103** होगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांक **05** में से यदि किसी अभ्यर्थी को **04** अंकों से अधिक अंक प्रदान किए जाएं अथवा **02** अंक से कम अंक प्रदान किए जाएं तो ऐसे अंक प्रदान करने वाले सदस्य द्वारा उसका विशिष्ट कारण अभिलिखित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ भी खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण पत्र में यह अंकित करेगा कि वह अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संक्षेप में उसके कारण लिखेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति या तो स्वयं या

समिति का सभापति या तो स्वयं या उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थी के नाम के साथ उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार अवधारित योग्यता कम में तैयार की गयी प्रतीक्षा–सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम और कम से कम दो ऐसे विषेशज्ञों के नाम भी दिए जायेंगे जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम और पता और दिनांक दिया जायेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति के साथ खण्ड (च) में निर्दिश्ट विवरण–पत्र की एक प्रति सभापति द्वारा शीघ्र ही प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।

उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थी के नाम के साथ उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार अवधारित योग्यता कम में तैयार की गयी प्रतीक्षा–सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम और कम से कम दो ऐसे विषेशज्ञों के नाम भी दिए जायेंगे जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम और पता और दिनांक दिया जायेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति के साथ खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण–पत्र की एक प्रति सभापति द्वारा शीघ्र ही प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** को भेजी जायेगी।

स्पष्टीकरण–धारा–37(5) में निर्दिष्ट मामलों में, इस विनियम में प्रबन्ध समिति या उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या सदस्य के प्रति कोई निर्देश प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति निर्देष समझा जायेगा जिसे खण्ड (घ) के अधीन, साक्षात्कार में अंक देने के प्रयोजनार्थ चयन समिति का एकल सदस्य समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–धारा–37(5) में निर्दिष्ट मामलों में, इस विनियम में प्रबन्ध समिति या उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या सदस्य के प्रति कोई निर्देश प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति निर्देश समझा जायेगा जिसे खण्ड (घ) के अधीन, साक्षात्कार में अंक देने के प्रयोजनार्थ चयन समिति का एकल सदस्य समझा जायेगा।

विनियम 17 का संशोधन

5. मूल विनियमावली के वर्तमान विनियम 17 के खण्ड (घ) को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
वर्तमान विनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**
17(घ)–अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन–पत्र कमानुसार संख्यांकित और रजिस्टर में दर्ज किए जायेंगे, और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भों में अंकित किए जायेंगे। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि (आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी। प्रबन्धक, चयन समिति के समस्त सदस्यों तथा समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जायें, चयन करने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व चयन का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा देगा। चयन समिति तद्नुसार चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा–38 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निधारित दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी।	**17(घ)**–अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन–पत्र कमानुसार संख्यांकित और रजिस्टर में दर्ज किए जायेंगे, और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भों में अंकित किए जायेंगे। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि (आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी। प्रबन्धक, चयन समिति के समस्त सदस्यों तथा समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जायें, चयन करने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व चयन का दिनांक, समय और स्थान की **सूचना रजिस्टर्ड डाक/ई0मेल/एस0एम0एस0/बेबसाइट द्वारा देगा।** चयन समिति तद्नुसार चयन करेगी। **चयन की सूचना इसी प्रकार निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मण्डलीय अपर निदेशक को रजिस्टर्ड डाक/ई0मेल/एस0 एम0एस0/बेबसाइट द्वारा देगा** यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा–38 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निधारित दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी।

	यदि साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 03 से कम रहती है तो साक्षात्कार स्थगित कर दिया जायेगा और उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।	यदि साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 03 से कम रहती है तो साक्षात्कार स्थगित कर दिया जायेगा और उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

विनियम 18 का संशोधन

6. मूल विनियमावली के वर्तमान विनियम 18 के खण्ड (क) को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
18(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रिक्ति को सीधी भर्ती से भरने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी– प्रबन्ध समिति द्वारा रिक्तियों की अवधारणा करने के पश्चात पदों को पर्याप्त परिचालन वाले स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा जिसमें पद के लिए न्यूनतम अर्हता एवं आयु, वेतनमान आदि का विवरण दिया जायेगा। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे। अभ्यर्थियों का चयन धारा–37(3) तथा 37(4) में निर्मित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार में चयन समिति के सदस्यों के द्वारा अधिकतम 25 पूर्णांक में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांक 25 में से यदि किसी अभ्यर्थी को 18 अंकों से अधिक अंक प्रदान किए जाएं अथवा 10 अंक से कम अंक प्रदान किए जाएं तो ऐसे अंक प्रदान करने वाले सदस्य द्वारा उसका विशिष्ट कारण अभिलिखित किया जाना अनिवार्य होगा।	18(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रिक्ति को सीधी भर्ती से भरने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी– प्रबन्ध समिति द्वारा रिक्तियों की अवधारणा करने के पश्चात पदों को पर्याप्त परिचालन वाले स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा जिसमें पद के लिए न्यूनतम अर्हता एवं आयु, वेतनमान आदि का विवरण दिया जायेगा। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे। अभ्यर्थियों का चयन धारा–37(3) तथा 37(4) में निर्मित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार में चयन समिति के सदस्यों के द्वारा अधिकतम **05 पूर्णांक** में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांक **05** में से यदि किसी अभ्यर्थी को **04 अंकों** से अधिक अंक प्रदान किए जाएं अथवा **02 अंक** से कम अंक प्रदान किए जाएं तो ऐसे अंक प्रदान करने वाले सदस्य द्वारा उसका विशिष्ट कारण अभिलिखित किया जाना अनिवार्य होगा। **परन्तु शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन के लिए साक्षात्कार की सूचना अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रीकृत डाक तथा ई–मेल तथा एस0एम0एस0 तथा बेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जायेगा।**

परिशिष्ट "घ" का संशोधन

7. मूल विनियमावली के अध्याय–दो में वर्तमान परिशिष्ट "घ" में नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

परिशिष्ट–घ

(अध्याय दो के **विनियम 10 (घ)** के सन्दर्भ में

(अध्याय दो के गुण विषयक अंकों का आंगणन निम्नवत् किया जाएगा

(A) हाईस्कूल/इण्टर संस्था के प्रधान के लिये गुण विषयक अंक

शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–10

कुल अंक 90

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र–

स्नातक– $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

स्नातकोत्तर – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

बी0एड0 – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 3}}{10}$

पी0एच0डी0/डी0लिट0 उपाधि हेतु गुण विषयक अंक–05

एम0एड0 उपाधि हेतु गुण विषयक अंक–05

(B) इण्टरमीडिएट शिक्षकों के लिये गुण विषयक अंक

शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–10

कुल अंक 90

परिशिष्ट–घ

(अध्याय दो के विनियम 10 (घ) के सन्दर्भ में

किसी संस्था के प्रधान और अध्यापक के लिये गुण विषयक अंक

(A) *हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट संस्था के प्रधान के लिये गुण विषयक अंक*

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–100

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–05

कुल अंक–105

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र –

हाईस्कूल– $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1}}{10}$

इण्टर – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1}}{10}$

स्नातक – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

स्नातकोत्तर – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4}}{10}$

बी0एड0–$\frac{\text{(लिखित + कियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

विलोपित

विलोपित

(B) *इण्टरमीडिएट शिक्षकों के लिये गुण विषयक अंक*

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक– 100

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक– 05

कुल अंक–105

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र–

स्नातक– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

स्नातकोत्तर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

बी0एड0 – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 3
10

(C) हाईस्कूल के अध्यापकों के लिये गुण विषयक अंक

शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–10

कुल अंक–**90**

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

बी0एड0 – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0–I अथवा II जो लागू हो–

प्राप्तांकों का प्रतिशत X 6
10

(D) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के प्रधानाध्यापक व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए गुण विषयक अंक–

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र –

हाईस्कूल– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1
10

इण्टर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1
10

स्नातक – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

स्नातकोत्तर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4
10

बी0एड0–(लिखित + क्रियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

(C) हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों के लिये गुण विषयक अंक

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–100

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–05

*कुल अंक–**105***

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

हाईस्कूल– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1
10

इण्टर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1
10

स्नातक – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

बी0एड0–(लिखित + क्रियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

***सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0– II** जो लागू हो –*
प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4
10

***(D)** मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के प्रधानाध्यापक एंव सहायक अध्यापक के लिए गुण विषयक अंक–*

शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–10

कुल अंक–**90**

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

बी0एड0 – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 2}{10}$

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0–I अथवा II जो लागू हो–

$\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 6}{10}$

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–100

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–05

कुल अंक–105

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

हाईस्कूल– $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 1}{10}$

इण्टर – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 1}{10}$

स्नातक – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 2}{10}$

बी0एड0–(लिखित +कियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत $\times 2$

10

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0– II जो लागू हो –

$\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 4}{10}$

(E) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के सहायक अध्यापक व प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राईमरी के सहायक अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक–

शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक– 10

कुल अंक–90

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

बी0एड0 – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 2}{10}$

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0–I अथवा II जो लागू हो –

$\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 6}{10}$

(E) *मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राईमरी के प्रधानाध्यापक एंव सहायक अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक–*

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक ***अंक– 100***

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले ***अधिकतम अंक–05***

कुल अंक–105

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

हाईस्कूल– $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 1}{10}$

इण्टर – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 1}{10}$

स्नातक – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत} \times 2}{10}$

बी0एड0–(लिखित +कियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत $\times 2$

10

सी0टी0ई0टी0/यू0टी0ई0टी0-I जो लागू हो -

प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4
10

(F) टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 से छूट प्राप्त विषयों में सहायक अध्यापकों (माध्यमिक/पूर्व माध्यमिक) के पदों के लिए गुणविषयक अंक–

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक– 100

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक– 05

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र –

हाईस्कूल– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1
10

इण्टर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

स्नातक – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 3
10

बी0एड0/अन्य प्रशिक्षण/डिप्लोमा/डिग्री (जो लागू है) –(लिखित +कियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4

10

अथवा

स्नातकोत्तर – (यदि लागू हो) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4
10

III सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप विवरण गुण विषयक

(क) खेल/खेलकूद

1. राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि –5

2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग/राज्य स्तर पर उपलब्धि

3. राज्य स्तर पर प्रतिभाग/जनपद स्तर पर उपलब्धि

(ख) 1–स्काउट/गाइड

1. राष्ट्रपति पुरस्कार–5
2. राज्य पुरस्कार–3
3. तृतीय सोपान उत्तीर्ण–2

अथवा

–विलुप्त।

–विलुप्त।

(ख) 2–राष्ट्रीय कैडेट कोर/एन0एस0एस0–

एन0सी0सी0सीनियर डिविजन सी0–प्रमाण–पत्र/
जी0–2
प्रमाण पत्र एन0एस0एस0–सी प्रमाण पत्र – 5

एन0 सी0 सी0 सीनियर डिविजन–बी/
जी0–1 प्रमाण पत्र एन0 एस0 एस0–बी प्रमाण पत्र– 3

एन0सी0सी0जूनियर
डिविजन–ए/ए–1/ए–2/जे/जे–1/जे–2 प्रमाण
पत्र
एन0एस0एस0–ए प्रमाण पत्र–2

–विलुप्त।

(ग) अन्य दक्षता अर्थात वाद–विवाद विद्यालय स्तर पर उपलब्धि – 1
नाट्यकला, यूनियन पार्लियामेन्ट कालेज स्तर पर उपलब्धि – 2
विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्धि – 3
राज्य स्तर पर उपलब्धि – 5

–विलुप्त।

परिशिष्ट 'घ' गुण विषयक अंकों का आगणन करते समय निम्न को ध्यान में रखा जाय –

(1) यदि अभ्यर्थी ने प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन किया हो तो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी है केवल उस विषय की मास्टर्स डिग्री के आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेंगे।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिए आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषय के अंक उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे जिनमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि आवेदक केवल एम0एड0 हो और उसके पास कोई स्नातकोत्तर उपाधि न हो तो एम0एड0 के लिये स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में गुण विषयक अंक प्रदान किये जायेंगे।

(3) संस्था के प्रधान–पद के लिये प्रशासनिक अनुभव के प्रयोजनार्थ केवल निम्नलिखित अनुभव का विचार किया जायेगा––

परिशिष्ट 'घ' गुण विषयक अंकों का आगणन करते समय निम्न को ध्यान में रखा जाय –

(1) यदि अभ्यर्थी ने प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन किया हो तो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी है केवल उस विषय की मास्टर्स डिग्री के आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेंगे।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिए आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषय के अंक उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे जिनमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो।

–विलुप्त।

–विलुप्त।

(क) जहां आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) या हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की या किसी इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य की हैसियत से कार्य किया हो।

–विलुप्त।

(ख) जहां आवेदक शिक्षा विभाग में किसी राजपत्रित पद पर रहा हो।

–विलुप्त।

(4) किसी पद के लिये शिक्षण अनुभव के प्रयोजनार्थ, केवल ऐसे समस्त अनुभव पर विचार किया जायेगा जिसे आवेदक किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापक की हैसियत से कार्य करके अर्जित किया हो। यदि आवेदक ने संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद के लिये आवेदन किया हो तो प्रशिक्षण अनुभव के लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधानाध्यापक या प्रिसिंपल के रूप में कार्य करने के उसके अनुभव का भी विचार किया जायेगा।

–विलुप्त।

(5) छः मास से कम का अनुभव कोई गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह नहीं बनायेगा, किन्तु छः मास या अधिक, किन्तु एक वर्ष से कम का अनुभव एक वर्ष के लिये गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह बनायेगा।

–विलुप्त।

(6) किसी संस्था के निर्देश में पद मान्यता प्राप्त का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा या विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या सृजित किसी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से है जिसके अन्तर्गत् सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली, कौंसिल आफ इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनशन, दिल्ली, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई उपाधि महाविद्यालय भी है।

(6) किसी संस्था के निर्देश में पद मान्यता प्राप्त का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा या विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या सृजित किसी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से है जिसके अन्तर्गत् सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली, कौंसिल आफ इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनशन, दिल्ली, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई उपाधि महाविद्यालय भी है।

शिक्षण अनुभव के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा :

शिक्षण अनुभव के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा :

अनुभव प्रमाण–पत्र का प्रारूप

अनुभव प्रमाण–पत्र का प्रारूप

(मात्र संस्था प्रधान के लिए शैक्षिक अर्हता की गणना के लिये मान्य होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....पुत्र/पुत्री श्री .....ने संस्था .....में .....पद पर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....पुत्र/पुत्री श्री..... ने संस्था ..... में ....पद पर दिनांक .....से ..... तक ..... कार्य किया है/कर रहे हैं।

दिनांक .....से ..... तक ..... कार्य किया है/कर रहे हैं। इस अवधि में इनको वेतन का भुगतान विद्यालय की रोकड़ पंजिका संख्या/..... बैंक के माध्यम से किया गया है। इनका खाता संख्या ..... है/था।

हस्ताक्षर संस्था प्रबन्धक.....

हस्ताक्षर संस्था प्रधान.....

नाम/पदनाम/मुहर .....

नाम/पदनाम/मुहर रोकड पंजिका/बैक पासबुक/उपस्थिति पंजिका के आधार पर ।

इस अवधि में इनको वेतन का भुगतान विद्यालय की रोकड़ पंजिका संख्या..... , बैंक के माध्यम से किया गया है। इनका खाता संख्या ..... है/था।

अध्यापक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर संस्था अध्यक्ष/प्रबन्धक.....

नाम/पदनाम/मुहर रोकड पंजिका/बैक पासबुक/उपस्थिति पंजिका के आधार पर

हस्ताक्षर

खण्ड शिक्षा अधिकारी

/नियन्त्रक अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य शिक्षा अधिकारी

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)

सचिव

संख्या–531/xxiv–4/2018–01(01)/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोनार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सभापति/सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल एवं कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
10. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, जनपद–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की वर्णित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. एन0आई0सी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव